| | | |
|---|---|---|
| | लक्ष्मीनारायण बनाम हनुमान वगै | |
| 22-02-2019 | प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश हुआ।अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रार्थी अधिवक्ता श्री रमाशंकर शर्मा को सुना गया।<br><br>प्रार्थी को सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने तथा जमाबन्दी का अवलोकन करने पर प्रार्थी का प्रकरण प्रथम दृष्टया सुदृढ़ एवं सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता हैं। इसलिए प्रार्थी के पक्ष में अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के आदेश प्रारित करना उचित समझते हैं।<br><br>अतः अप्रार्थीगण को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता हैं कि ग्राम डोडा डूंगर हसील जमवारामगढ़ में स्थित वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 592, 594, 595, 59, 597, 598, 599, 600, 606, 607, 608, 62, 66, 67, 84, 87, 610, 528, 230, 554, 555, 557, 579, 580, 582, 611, 612, 613, 614, 621, 622, 623, 624, 625, 626 के राजस्व रिकॉर्ड एवं मौके कि यथास्थिती बनाये रखे तथा किसी प्रकार का निर्माण कार्य ना करे एवं बेदखल ना करे उक्त आदेश पर आपत्ति हो तो न्यायालय हाजा में आगामी तारीख पेशी दिनांक 22-03-2019 को पेश करें। आदेश की प्रालनार्थ तहसीलदार जमवारामगढ़, उपपंजीयक जमवारामगढ़ एवं सम्बन्धित थानाधिकारी को तहरीर जारी हो। पत्रावली दिनांक 22-03-2019 को वास्ते तलबी अप्रार्थीगण पेश हो।<br><br>उपखण्ड अधिकारी<br>जमवारामगढ़ | |
| 18/3/19 | मूलवाद में निग्रा का प्रार्थना पत्र पेश होने पर पत्रावली आज पेश हुई मूलवाद को निग्रा कर खारिज किया गया [illegible] | लक्ष्मीनारायण<br>18/3/19 |

कोई औचित्य नहीं है। इसलिए प्रार्थना पत्र 212 R.T. Act को खारिज किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद प्रति दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2020.02.24 13:20:40 IST
Reason: SelfAttested
Location: